

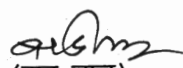
सं.16(72)/2005-एलआर
भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
(एलआर अनुभाग)

उद्योग भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 23.03.2011

कार्यालय जापन

विषय: दिनांक 19.11.2009 का आटोमोटिव वाहनों के न्यूमेटिक टायर तथा ट्यूब गुणवत्ता (नियंत्रण) आदेश, 2009

अधोहस्ताक्षरी को आटोमोटिव वाहनों के न्यूमेटिक टायर और ट्यूब के लिए गुणवत्ता (नियंत्रण) आदेश, 2009, जिसे दिनांक 19.11.2009 की अधिसूचना के जरिए अधिसूचित किया गया था, का संदर्भ लेने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त आदेश के खंड 3 (घ) के उपबंधों के अनुसार, अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) के लिए आयातित या विनिर्मित न्यूमेटिक टायरों को भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) चिह्न के अंकन से छूट प्राप्त है। टायर के प्रत्येक आकार में से आर एंड डी टायरों की पहचान को आसान बनाने के लिए, भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) से परामर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है कि टायर के प्रत्येक आकार में पहले 150 टायर या विनिर्माताओं द्वारा अनुसंधान एवं विकास कार्यों के लिए अपेक्षित टायरों, जो भी कम हों, पर अनुसंधान एवं विकास कार्यों हेतु विशिष्ट क्रम सं. (यथा आरडी-1से आरडी-150) अंकित की जाए तथा इन्हें उक्त गुणवत्ता (नियंत्रण) आदेश के तहत बीआईएस चिह्नों के अनिवार्य अंकन से छूट दी जाएगी।


(बाबू लाल)

निदेशक

दूरभाष: 2306 3212

1. उपभोक्ता कार्य विभाग
[श्री अशोक जैन, निदेशक (बीआईएस)]
कमरा सं. 464-सी
कृषि भवन, नई दिल्ली
2. भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस)
(कृपया ध्यान दें: श्री शरद गुप्ता, महानिदेशक),
मानक भवन, 9, बहादुर शाह जफर मार्ग,
नई दिल्ली - 110 002
3. श्री राजीव बुधराजा,
महानिदेशक,
आटोमोटिव टायर विनिर्माता संघ (एटीएमए)
पीएचडी हाऊस, (चौथा तल), एशियाई खेल गांव के सामने,
सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110 016
फैक्स सं. 2686 4799

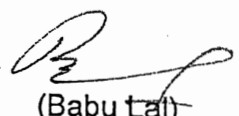
No.16(72)/2005-LR
Government of India
Ministry of Commerce & Industry
Department of Industrial Policy & Promotion
(LR Section)

Udyog Bhavan, New Delhi
Dated : 28.03.2011

OFFICE MEMORANDUM

Subject : Pneumatic Tyres and Tubes for Automotive Vehicles Quality (Control) Order, 2009 dated 19.11.2009.

The undersigned is directed to refer Quality (Control) Order, 2009 for Pneumatic Tyres and Tubes for Automotive Vehicles which was notified vide Notification dated 19.11.2009 and to say that as per Provisions under Clause 3 (d) of the said Order, pneumatic tyres imported or manufactured for Research & Development (R&D) purposes are exempted from Bureau of Indian Standards (BIS) marking. In order to facilitate easy identification of R&D tyres out of each tyre size, it has been decided in consultation with Bureau of Indian Standards (BIS) that first 150 tyres or number of tyres required by the manufacturers for R&D purposes, whichever is less, in each tyre size may be embossed with a distinctive serial code (i.e. RD-1... to RD-150) for Research & Development purpose and the same will be exempted from mandatory BIS marking under the said Quality (Control) Order.



(Babu Lal)
Director

Telefax No.23063212

1. Department of Consumer Affairs
(Shri Ashok Jain, Director (BIS))
Room NO.464-C,
Krishi Bhavan, New Delhi
2. Bureau of Indian Standards (BIS),
(Kind Attention : Shri Sharad Gupta, Director General)
Manak Bhavan, 9-Bahadur Shah Zafar Marg,
New Delhi-110002.
3. Shri Rajiv Budhraja,
Director General,
Automotive Tyre Manufacturers Association (ATMA)
PHD House (4th Floor), Opp. Asian Games Village,
Siri Institutional Area, New Delhi - 110016.
FAX No.26864799